संख्या-509/2025/228के-2/22-3-2025-17(370)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 14 नवम्बर, 2025

विषय:- जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पिन्टू उर्फ सुरेन्द्र पुत्र श्री बेचेलाल, निवासी जनपद- मैनपुरी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-3840/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-21.01.2025) दिनांक-29.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पिन्टू उर्फ सुरेन्द्र पुत्र श्री बेचेलाल, जगतपुर, थाना-बेवर, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। दिनांक 17.09.2009 को बंदी ने राजवीर नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी व अमरपाल को गोली मारकर घायल करने का अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-126/2010 व 128/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 307 व 25 ए0 एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, मैनपुरी के आदेश दिनांक 26.10.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक-09-08-2024 तक बन्दी की आयु 37 वर्ष, 09 माह, 27 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा किया गया हत्या जैसा जघन्य अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी की उम्र अभी लगभग 37 वर्ष है जो अपराध करने में सक्षम है इसलिये अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, जेल से रिहा किये जाने पर अपराध कारित किये जाने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त प्रतीत न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी पिन्टू उर्फ सुरेन्द्र पुत्र बेचेलाल की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। दिनांक 17.09.2009 को बंदी ने राजवीर नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी व अमरपाल को गोली मारकर घायल करने का अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पिन्टू उर्फ सुरेन्द्र पुत्र श्री बेचेलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पिन्टू उर्फ सुरेन्द्र (बन्दी संख्या-669/2022) पुत्र श्री बेचेलाल, निवासी जनपद-मैनपुरी को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-509/2025/228के-2/22-3-2025-17(370)/2025

दिनांक 14 नवम्बर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पिन्टू उर्फ सुरेन्द्र पुत्र श्री बेचेलाल, जगतपुर, थाना-बेवर, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। दिनांक 17.09.2009 को बंदी ने राजवीर नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी व अमरपाल को गोली मारकर घायल करने का अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-126/2010 व 128/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 307 व 25 ए0 एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, मैनपुरी के आदेश दिनांक 26.10.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक-09-08-2024 तक बन्दी की आयु 37 वर्ष, 09 माह, 27 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा किया गया हत्या जैसा जघन्य अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी की उम्र अभी लगभग 37 वर्ष है जो अपराध करने में सक्षम है इसलिये अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, जेल से रिहा किये जाने पर अपराध कारित किये जाने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त प्रतीत न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी पिन्टू उर्फ सुरेन्द्र पुत्र बेचेलाल की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। दिनांक 17.09.2009 को बंदी ने राजवीर नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी व अमरपाल को गोली मारकर घायल करने का अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पिन्टू उर्फ सुरेन्द्र पुत्र श्री बेचेलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in